

परियोजना का नाम :-

जनपद-देहरादून मसूरी स्थित श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता की निजी वन भूमि स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-चकराता रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 है०भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति तथा उक्त से सम्बन्धित प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-चकराता रोड, मसूरी स्थित निजी वन भूमि स्थित में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड पर कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात् 0.024996 है० भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण किया जाना है। चूंकि श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी-चकराता रोड मसूरी निजी वन भूमि घोषित है। अभी मेरे द्वारा भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

AR Gupta

(श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता)
पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
निवासी-फ्लैट नं एच 401, दून ट्रफैलगर,
दोहरन खास, देहरादून।

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि
मसूरी

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

प्रमाणित वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

[Signature]
प्र०व०अ०
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

1/15